निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13 / 2020	14.01.2020	15.01.2021

रूपन्ती पत्नि दयालसिंह उम्र 30 साल जाति गुर्जर निवासी गुर्जा सेंगरपुरा तहसील व जिला करौली।

—प्रार्थिया

बनाम

1.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की और से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि भूमि हाल खसरा न0 948 रकबा 0.30 है,ख0न0 995 रकबा 0.28 है0,ख0न0 998 रकबा 0.28 है0,ख0न0 1003 रकबा 0.20 है0,ख0न01005 रकबा 0.25 है0,ख0न01017 रकबा 0.15 है0,कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 हैक्टर स्थित ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर हाल खाता संख्या नया 176 खाता संख्या पुराना 175 व खसरा नम्बर 996 रकबा 0.35 है0,ख0न0 997 रकबा 0.33 है0,ख0न0 999 रकबा 0.35 है0ख0न0 1001 रकबा 0. 29 है0,कुल किता 04 कुल रकबा 1.17 है0 स्थित ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर जिसके नया खाता संख्या 177 व पुराना खाता संख्या 176 है जिसमें प्रार्थिया का मुताबिक राजस्व रिकार्ड 1/8 हिस्सा है।प्रार्थिया उपरोक्त वर्णित भूमि पर मुताबिक हिस्सा काश्त करती चली आ रही है तथा काश्त की आय से अपना व अपने परिवार का पालन करती चली आ रही है। यह कि प्रार्थिया के पति का नाम दयाल सिहं है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश दयाराम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया हैतथा प्रार्थिया के अन्य सरकारी व गैर सरकारी सभी दस्तावेजात में प्रार्थिया के पति का नाम दयाल सिहं है। यह कि राजस्व कर्मचारियों की उक्त भूल के कारण प्रार्थिया को भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड सकता है तथा दिनांक 03.03.2018 को प्रार्थिया अपनी भूमि पर किसान केडिट कार्ड से ऋण लेने बैंक में गयी तो बैंक कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि हम तुम्हे के.सी.सी. जब ही देगें जब तुम तुम्हारे पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाओगी। इस कारण प्रार्थिया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि राजस्व कर्मचारियों के उक्त भूल के कारण प्रार्थिया राज्य

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

सरकार द्वारा कृषकों के लिए समय समय पर जारी योजनाओं का लाभ नही ले पायेगी जिससे प्रार्थिया को अतुलनिय क्षति होगी इस कारण न्याय हित में प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में किया गया है में प्रार्थिया के पति का नाम दयाराम की जगह दयाल सिंह किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थीया द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2072–75 खाता संख्या 176 व 177 तथा फोटोप्रति आधार कार्ड पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 11.4.2019 को अपने पत्र कमांक 181 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की । बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिर्पोट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 का एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी में प्रार्थीया के पति का नाम दयाराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड में उसका नाम दयालसिहं दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के पति का नाम दयाराम के स्थान पर दयालसिहं किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के खाता संख्या 176 व 177 में प्रार्थीया रूपन्ती के पति का नाम दयाराम को हजफ कर उसके स्थान पर दयालसिहं दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 176 व 177 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)